रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2008/श्रावण 27, 1930
No. 449] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2008/SRAVANA 27, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 598(अ).—साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 21 नवम्बर, 2007 सा.का.नि. 259 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिनको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 29 जनवरी, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं । और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अतः केन्द्रीय सरकार कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(i) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(झक) 'से पूर्व सर्वोत्तम' से वह अवधि अभिप्रेत है जिस तक उत्पाद का उपभोग कर लेना चाहिए;

(ii) खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) "एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र" निर्यात के लिए एगमार्क श्रेणीकरण परेषण की बाबत विपणन और निरीक्षण निदेशालय के किसी प्राधिकृत अधिकारी या उसे जारी करने के लिए अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है" ।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (8) के खंड (छ) में "अवसान की तारीख" शब्दों के स्थान पर "से पूर्व सर्वोत्तम" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियम के नियम 9 के उपनियम (3) को लोप किया जाएगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 10 में,—

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) एगमार्क लेबलों के स्थान पर "एगमार्क प्रतिकृति का उपयोग" केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी ने इस आशय की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा दे दी है किन्तु ऐसे प्राधिकृत पैकर जो कम से कम,

दो पूर्ववर्ती वर्षों से प्राधिकार प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं और जिसके दौरान उनका श्रेणीकरण कार्यपालन समाधानप्रद रहा है और जिन्होंने प्रतिवर्ष पचास हजार से अन्यून एगमार्क लेबलों का उपयोग किया है, को ऐसी विनिर्दिष्ट अनुज्ञा लेने की अपेक्षा नहीं होगी;

परन्तु प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर या किसी ऐसी अवस्थिति में जहां एगमार्क लेबलों का अपेक्षित प्रकार किसी दिए गए समय पर जारी करने के लिए निदेशालय में उपलब्ध नहीं है, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा ये शर्तें शिथिल की जा सकेंगी ।"

(ii) उपनियम (4) का लोप किया जाएगा;

7. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (4) में "अवसान की तारीख" शब्दों के स्थान पर "से पूर्व सर्वोत्तम" शब्द रखे जाएंगे;

8. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) निर्यात के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन अनुसूचीगत वस्तु का प्रत्येक परेषण एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र के अंतर्गत होगा जो अनुरोध पर विपणन और निरीक्षण निदेशालय के किसी अधिकारी या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस बाबत प्राधिकृत प्रयोगशाला के किसी अभिहित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत पैकर को विहित प्रारूप में जारी किया जाएगा ।"

9. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (4) के खंड (ङ) में "अवसान अवधि" शब्दों के स्थान पर "से पूर्व सर्वोत्तम" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 18011/22/2007-एम-III]
यू. के. एस. चौहान, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 434 तारीख 17 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 621 तारीख 11 अक्तूबर, 1991 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2008

G.S.R. 598(E).—Whereas certain draft rules further to amend the General Grading and Marking Rules, 1988, were published, as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation *vide* G.S.R. 259 dated 21st November, 2007 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 29th January, 2008. And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. These rules may be called the General Grading and Marking (Amendment) Rules, 2008.

2. In rule 2 of the General Grading and Marking Rules, 1988 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) after clause (i) the following clause shall be inserted namely :—

(ia) 'best before' means the period within which the product should be consumed;

(ii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely :—

"(l) "certificate of agmark grading" means a certificate in specified proforma issued by an authorised officer of the Directorate of Marketing and Inspection or a person designated by the approved laboratory to issue the same in respect of agmark graded consignment meant for export".

3. In rule 3 of the said rules, in sub-rule (8), in clause (g), for the words "date of expiry" the words "best before" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, the first proviso under sub-rule (2) shall be omitted.

5. In rule 9 of the said rules, sub-rule (3) shall be omitted.

6. In rule 10 of the said rules,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) "use of agmark replica" in lieu of agmark labels shall be allowed only by such authorized packers to whom specific permission to this effect has been granted by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, but such authorised packers, who have been holder of certificate of authorisation for at least two preceding years and during which their grading performance has been satisfactory and have used not less than fifty thousand agmark labels per annum shall not be required to take such specific permission; provided that,

depending on the merit of individual case or in a situation where the required kind of agmark labels are not available in the Directorate for issue at any given point of time, these conditions may be relaxed by the Agricultural Marketing Adviser";

(ii) sub-rule (4) shall be omitted;

7. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (4) for the words "date of expiry" the words "best before" shall be substituted;

8. In rule 15 of the said rules, for sub-rules (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) Every consignment of a scheduled article graded and marked, under the provisions of the Act, for export shall be covered by a certificate of Agmark grading which shall be issued in prescribed form on request, to the authorised packer by an officer of the Directorate of Marketing and Inspection or a designated person of a laboratory, authorised in this behalf by the Agricultural Marketing Adviser."

9. In rule 19 of the said rules, in sub-rule (4), in clause (e), for the words "expiry period", the words, "best before", shall be substituted.

[F. No. 18011/22/2007-M-(III)]

U. K. S. CHAUHAN, Jt. Secy. (Agricultural Marketing)

Note :— The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 434 dated the 17th June, 1989 and subsequently amended by number G.S.R. 621, dated the 11th October, 1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.